फर्द अहकाम

बात उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर

धनवन्ती बनाम रामकेश वगै०

मुकदमा दावा नं. 895 सन् 2021

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23.12.2021 यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 RTA वादी की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा एड० ने हमारे समक्ष पेश किया प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा रजिस्टर्ड किया जाकर तलबी अभिभाषकगण जाबिते नोटिस कीजाकर पत्रावली दिनांक 24/2/22 को पेश हो। नवल	
	24.2.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की तामील नहीं लौटी है। वकील वादी ने पुनः तलबाना पेश करने का लेख चाहा। तलबाना पेश होने पर तलबी अभिभाषकगण की जारी पत्रावली दिनांक 24.3.22 को पेश हो। नवल	
	24.3.22 पत्रावली पेश हुई। अर्थात् पी०ए० अखिलेश देव उप० अधिवक्ता लेख हेतु आज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31.3.22 को पेश हो। नवल	रामकेश
	31.3.22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षगण ने एक होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तसदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र दावा विड्रो करने बाबत् पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दावा वादी विड्रोल के आधार पर डिसमिस्ड पर खारिज किया जाता है। नवल	धनवन्ती रामकेश रमेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पैशल समय टोन नम्बर के बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला [illegible] वजीरपुर (प.ना.)